(भारत के राजपत्र असाधारण भाग– III, खंड 4 दिनांक 30 मार्च, 2010 में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च, 2010

फा.सं. 48–3(1)/2008/रा.अ.शि.प. (एन एण्ड एस) – राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 32 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के मानक और क्रियाविधि) विनियमन, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः–

1. ये विनियमन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के मानक और क्रियाविधि संशोधन) विनियमन; 2010 कहलाएंगे।

2. ये विनियमन राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के मानक और क्रियाविधि) विनियमन, 2009 में विनियमन 8 मे, उप–विनियमन (5) में; –

(क) शब्द, अंक और अक्षर "1 अप्रैल, 2010" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "1 अप्रैल, 2011" प्रतिस्थापित होगा;

(ख) शब्द और अंक "सत्र 2010–11" के स्थान पर शब्द और अंक "सत्र 2011–12" प्रतिस्थापित होगा।

(हसीब अहमद)
सदस्य सचिव

नोट :– प्रधान विनियमन सं. 51–1/2009–रा.अ.शि.प. (एन एण्ड एस) दिनांक 31 अगस्त, 2009 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था।